न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

अदालत – उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ राज.
इजलास – श्री राजेश कुमार नायक R.A.S.

1. श्री कचरूलाल पिता रामलाल जाति कलाल
2. श्री गोपाल पिता रामलाल जाति कलाल

सभी निवासीयान चिकलाड़, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)

......वादीगण

बनाम

1. मू. कस्तूरी बेवा गोतीया जाति मीणा
2. श्री शंकर पिता गोतीया जाति मीणा
3. श्री मन्नालाल पिता गोतीया जाति मीणा

सभी निवासीयान चिकलाड़, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)

......प्रतिवादीगण

–:वाद तहत धारा 188 रा0टी0एक्टः–

प्रकरण संख्याः–28 / 2022
निर्णय दिनांक :–06 / 08 / 2024

–:निर्णयः–

उपस्थित :– श्री मनोहर लाल रैगर वादीगण।

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य है कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त कि आराजी खाता संख्या 32 मौजा चिकलाड़ प0ह0 चिकलाड़ तह व जिला प्रतापगढ़ में आराजी संख्या 753, 759 रकबा 0.58, 2.04 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.62 हैक्टेयर काबिज होकर काश्त कर फसल बोते व लेते चले आ रहे है।

यह कि अभी करीब एक सप्ताह पुर्व वादीगण अपने परिवार सहित उक्त आराजीयात में से अराजी संख्या 753 रकबा 0.58 हैक्टेयर पर सफाई कार्य कर रहे थे कि तभी वहा पर सभी प्रतिवादीगण हम सलाह अनाधिकतृ रूप से हमारी आराजीयात में मदाखलत मजाहमत करते हुए प्रवेश करते हुए जबरन कब्जा करने कि तथा वादीगण को आराजीयात से बेदखल करने कि कोशिश करने लगे।

यह कि प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नही है कि वादीगण कि आराजीयात पर जबरन कब्जा करे क्योंकि आराजीयात वादीगण के स्वामीत्व व आधिपत्य कि होकर खातेदारी कि है जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है।

वाद पेश कर निवेदन किया कि वादीगण कि खातेदारी कि आराजी मौजा चिकलाड़ प0ह0 चिकलाड़ कि आराजी संख्या 753 रकबा 0.58 हैक्टेयर पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश प्रदान करे कि वादीगण कि आराजीयात पर जबरन कब्जा नही करे , आराजी पर किसी तरह से मदाखलत मजाहमत नही करे , वादीगण को काश्त करने से नही रोके।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये , बाद तामिल प्रतिवादीगण अनुपस्थित , प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी, वादीगण कि बहस सुनी गयी।

Scanned with CamScanner

हमने पत्रावली का सुक्ष्म अवलोकन किया व वादी के अधिवक्ता कि बहस पर मनन किया। दस्तावेज के अनुसार आराजी मौजा चिकलाड़ प0ह0 चिकलाड़ कि आराजी संख्या 753 रकबा 0.58 हैक्टेयर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर वादीगण के खातेदारी कि है। वादीगण की आराजी पर प्रतिवादीगण का अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का भी अधिकार नही है ।

–:आदेश:–

वादीगण को आराजी मौजा चिकलाड़ प0ह0 चिकलाड़ कि आराजी संख्या 753 रकबा 0.58 हैक्टेयर आराजी पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाता है कि वादीगण कि आराजी पर जबरन कब्जा नही करे । डिक्री पर्चा मुर्तीब हो। वाद खर्च पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 06/08/2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी,
प्रतापगढ